

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

दावे अभिलेख संख्या- 429/19-2020 (अन्तर्गत धारा-4(h)BLR Act,1950)

सूचना

बनाए कुंवर कुमार सुकुन ब/ल।  
पिता-सिताराम कुमार सुकुन  
आड-हैवली

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा- हैवली धाना नं०-  
198 खाता नं०- 98 खेसरा नं०- 1613, 1618, एवं अम्म  
रकाबा-  $4.39 \frac{1}{2}$  से संबंधित आपके नाम से ह० नं०- IX के पंजी II भाग 2  
के पृष्ठ 589 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम  
से जॉचोपरान्त सदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- 20.3.20 को समय-11.00 बजे पूर्वाह्न  
में उक्त भूमि का रिटर्न-1 भूमि बन्दोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत  
जमींदार रसीदों फार्म ड एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व  
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि  
पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना  
पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ  
नाही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज  
जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्गत लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

06/3/20

अंचल अधिकारी

गोविन्दपुर

तिथि :-

**अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर**

अभिलेख बाद संख्या- 429/19-2020

दिनांक	आदेश फलक	अभिवृत्ति
--------	----------	-----------

06/03/2020 बाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जीव एवं वारंवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के आयांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0नि0-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजकूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जीव प्ररम्भ की गयी। जीव के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0मि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि हैपली धाना नं0-198 खाता संख्या-98 प्लॉट संख्या-1613, 1618 एवं 1622 रकबा-4.39 1/2 एकड़ की भूमि जो गैरमजकूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मीजा के पंजी-II के जिल्द संख्या-2 के पृष्ठ संख्या-589 पर जमाबंदी रैयत शुभेन्द्र कुमार अनुशुन दादा के नाम से कायम है। पिता-सिंह राम कुमार अनुशुन


हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जीवोपरान्त उपयुक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जीव प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपयुक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उपरोक्त निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपयुक्त से स्पष्ट होता है कि उपयुक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जीव किया जाना बांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपयुक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पूछा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुरोधित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 20/03/2020 को उपस्थापित करें।

  
06/3/20  
 अंचल अधिकारी  
 गोविन्दपुर

20.03.2020

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

20/3/20

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर